राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

(नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद)

(भारत सरकार, आयुष मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या–66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110026

दूरभाष संख्याः 011–41681265 ई–मेलः gsp-ravdl@gov.in

प्रवेश सूचना 2025–26

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नई दिल्ली एक वर्षीय **"राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र (सी.आर.ए.वी.) पाठ्यक्रम"** में प्रवेश हेतु **दिनांक 19 जनवरी, 2025 (रविवार) को नई दिल्ली, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, वाराणसी तथा त्रिशूर में**, उन योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सको के लिए **लिखित परीक्षा** आयोजित कर रहा है, जिन्होंने बी.ए.एम.एस. (आयुर्वेदाचार्य)/एम.डी. (आयुर्वेद)/एम.एस.(आयुर्वेद) की उपाधि किसी भी ऐसे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से अर्जित की हो, जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आईएमसीसी) अधिनियम 1970/एनसीआईएसएम अधिनियम 2020 के तहत मान्यता प्राप्त हो। इच्छुक आवेदक पात्रता, विषय, आवेदन–पत्र के निर्धारित प्रारूप, पाठ्यक्रम–विवरणिका और अन्य जानकारी हेतु इस विद्यापीठ की वेबसाइट **www.ravdelhi.nic.in** को देखें और विधिवत् भरे हुए आवेदन–पत्र को **18 दिसम्बर, 2024 तक या इससे पूर्व केवल डाक के माध्यम से उपर्युक्त पते पर** भेजें।

निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ

RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH

(NATIONAL ACADEMY OF AYURVEDA)

(An autonomous organization under Ministry of Ayush, Govt. of India)

Dhanwantari Bhawan, Road No.66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

Phone Nos.: 011- 41681265 Email: gsp-ravdl@gov.in

ADMISSION NOTICE 2025–26

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, New Delhi (RAV) is holding a **Written Test** on **19th January, 2025 (Sunday) at New Delhi, Pune, Jaipur, Bengaluru, Varanasi and Thrissur** for the admission in One year **"Certificate Course of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV)"** for the eligible Ayurveda doctors, having qualified BAMS (Ayurvedacharya)/M.D. (Ay.)/M.S. (Ay.) degree from any University/College recognized under IMCC Act 1970/NCISM Act 2020. Interested candidates may visit the Vidyapeeth's website **www.ravdelhi.nic.in** for details of eligibility, subjects, prescribed format of application form, prospectus, other information etc. and send their duly filled application **only through Post on above address on or before 18th December, 2024**.

Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH

धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या–66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110 026
DHANWANTARI BHAWAN, ROAD NO. 66, PUNJABI BAGH (WEST), NEW DELHI- 110 026
दूरभाष संख्या– **(PHONE NOS.)** 011–**41681265**

कृपया अपना नवीनतम कलर पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं और नीचे बॉक्स में अपना हस्ताक्षर करे
Kindly paste your recent colour passport Photograph and Sign in the below column

एक वर्षीय सीआरएवी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन–प्रपत्र 2025–26
APPLICATION FORM FOR ONE YEAR CRAV COURSE 2025-26

1. परीक्षा के लिये वरीयता का केन्द्रः
Preference for Examination Centre:

उपलब्धता के अधीन पर, परीक्षा के लिए वरीयता का केन्द्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। **अभ्यर्थियों को किसी भी दो केन्द्रों का चयन करना जरूरी है। कृपया केन्द्रों की वरीयता संख्या में अर्थात् 1, 2, 3 आदि में ही दें।**
Preference will be given on first come first serve basis, subject to availability. **Candidates must have to opt any two centres. Kindly give Preference of Centres only in number i.e. 1, 2, 3 etc.**

(i) ☐ नई दिल्ली New Delhi (ii) ☐ पुणे Pune (iii) ☐ जयपुर Jaipur (iv) ☐ बेंगलुरु Bengaluru (v) ☐ वाराणसी Varanasi (vi) ☐ त्रिशूर Thrissur

2. आधार नं. / Aadhar No. .....

3. पैन नं. / PAN No. .....

4. अभ्यर्थी का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
Candidate's full Name (in Block Letters) .....

5. माता का नाम (बड़े अक्षरों में)
Mother's Name (in Block Letters) .....

6. पिता का नाम (बड़े अक्षरों में)
Father's Name (in Block Letters) .....

7. लिंगः
Gender : ☐ पुरुष Male ☐ महिला Female ☐ अन्य Others

8. वैवाहिक स्थितिः
Marital Status : ☐ विवाहित Married ☐ अविवाहित Unmarried

9. वर्गः
Category : ☐ सामान्य General ☐ ओबीसी OBC ☐ एससी SC ☐ एसटी ST ☐ ईडब्लूएस EWS ☐ पीएच PH

10. (a.) जन्म तिथि/Date of Birth .....

(b.) उम्र 18-12-2024 तक / Age as on 18.12.2024 .....(वर्ष).....(महीना).....(दिन)

11. आयु सीमा में छूट
Seeking age relaxation : ☐ हाँ Yes ☐ नहीं No

If yes/ यदि हाँ :

☐ अन्य पिछड़े वर्ग* OBC* ☐ अनुसूचित जाति / जनजाति Scheduled Caste/Tribe ☐ शारीरिक विकलांग Physically Handicapped ☐ सरकारी नौकरी** Govt. Service**

*** अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अपना प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो / OBC candidates have to submit their certificate which is approved only by Government of India.**

**** स्थायी राज्य / केन्द्र सरकारी डॉक्टर /** Permanent State/Central Govt. Doctor
(प्रायोजित अभ्यर्थियों के मामले में, उन्हें अपना संबंधित सरकारी अनापत्ति प्रमाणपत्र जरूर भेजना होगा / **In case of Sponsored candidates he/she must send his/her NOC from respective Government).**

12. वर्तमान पता (बड़े अक्षरों में) .....

(डाकघर व पिन कोड सहित) .....

Present Address (in Block Letters) .....

(State Post Office & Pin Code) .....

13. स्थायी पता (बड़े अक्षरों में) .....

(डाकघर व पिन कोड सहित) .....

(Permanent Address) (in Block Letters) .....

(State Post Office & Pin Code) .....

14. E-mail / ई–मेल .....

15. Mobile No. / मोबाइल नं. .....

16. **प्राप्त शैक्षिक योग्यताओं का विवरण (प्रमाणपत्र सहित स्व–अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ)**
Academic qualifications (with self attested copies of all Certificates)

क्रमांक Sl.No.	उत्तीर्ण परीक्षा Examination passed	संस्थान/महाविद्यालय का नाम Name of Institution/College	बोर्ड/विश्वविद्यालय Board/Univ.	उत्तीर्ण करने का वर्ष Year of passing	प्राप्तांकों का प्रतिशत Percentage of marks obtained
1.	माध्यमिक परीक्षा Secondary Exam.				
2.	इन्टरमीडिएट परीक्षा Intermediate Exam.				
3.	आयुर्वेदाचार्य BAMS				
4.	आयु0 स्नातकोत्तर MD/MS				

17. **इन्टर्नशिप पूर्ण करने की तिथि**
Date of completion of Internship .....

18. **मेडिकल रजिस्ट्रेशन संख्या एवं वर्ष**
Medical Registration Number & Year .....

19. **भुगतान की विधी** **दिनांक**
Mode of Payment ..... Date .....

संदर्भ संख्या **राशि**
Transaction No. ..... Amount .....

घोषणा/Declaration

मैंने विवरणिका और आवेदनपत्र को सम्यक प्रकार से पढ़ लिया है और इसकी विषय वस्तु को समझ लिया है। इसके अलावा, यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना मेरे ज्ञान व विश्वास में पूर्णतया सही हैं और कुछ भी छुपाया अथवा मिथ्या प्रस्तुत नहीं किया गया है। मैं रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए समय–समय पर निर्गत नियमों/विनियमों का पालन करने का भी आश्वासन देता/देती हूँ।

I have gone through the prospectus and also this application and I understand the contents thereof. Further, it is certified that the information furnished above is correct to the best of my knowledge and belief that nothing has been concealed or misrepresented. I assure to abide by the rules and regulations of CRAV course as may be specified from time to time.

स्थान/Place : .....
दिनांक/Date : .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
Signature of Applicant

निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियाँः
Self attested copies of the following documents:

क्रमांक	अपेक्षित प्रमाणपत्र / दस्तावेज	आवेदनपत्र में संलग्न प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों में सही (✓) का निशान लगाएं **Tick mark (✓) the enclosures attaches with application form.**
1.	माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र (10वीं) Secondary Examination Certificate (10^{th})	
2.	इन्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाणपत्र (12वीं) Intermediate Examination Certificate (12^{th})	
3.	सभी आयुर्वेदाचार्य / एम.डी. उपाधि का प्रमाणपत्र (अस्थायी या डिग्री) Certificate of all BAMS/MD (Provisional or Degree)	
4.	इन्टर्नशिप प्रमाणपत्र / Internship certificate	
5.	मेडिकल रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र / Medical Registration certificate	
6.	निवास–स्थान के पते का प्रमाण–जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पहचान पत्र (वोटर आई.डी.) इत्यादि Address proof i.e. Passport, Driving license, Aadhaar Card, Voter I.D., etc.	
7.	अनापत्ति प्रमाणपत्र, अगर अभ्यर्थी सरकारी कार्यरत है तो No Objection Certificate, if candidate in Government service	
8.	**भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जाति प्रमाण–पत्र,** यदि जनजाति / अनुसूचित जाति / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस)* / अन्य पिछड़े वर्ग* (साधन सम्पन्न वर्ग के नहीं) तो (केंद्रीय सूची) **Caste certificate approved by Government of India**, if ST/ SC/ Economically Weaker Sections (EWS)*/OBC* (Non-Creamy Layer) (Central List)	
9.	शारीरिक विकलांगता संबंधी प्रमाणपत्र Certificate of Physical Disability	
10.	आधार कार्ड की प्रतिलिपि / Copy of Aadhar Card	
11.	पैन कार्ड की प्रतिलिपि / Copy of PAN Card	
12.	भुगतान की रसीद / Payment Receipt	
13.	**क्या आपने प्रवेश पत्र पर केवल व्यक्तिगत विवरण की प्रविष्टि की?** **Did you fill only the personal details on Admit Card?**	
14.	**क्या आपने गूगल फार्म ऑनलाइन जमा किया?** **Did you fill the Google Form online?**	

अनुदेश / Instructions :

1. सभी क्रमांकों में दिये विवरण की पुष्टि हेतु आवेदक सभी प्रमाणपत्रों की छायाप्रतियां, स्पष्ट अंकतालिकाएं जो कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं प्रमाणित हों, इस आवेदनपत्र के साथ भेजें।
Please send photocopies of all certificates in support of the description given under all columns and also the clear photocopies of all self attested.

2. कृपया अपने वर्तमान, अस्थायी एवं निवास पतों का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र लगाएं।
Please furnish proof of permanent and present address and nativity under self certification.

3. सेवारत आवेदकों को अपना आवेदनपत्र अपने विभाग/संस्था/सरकार के विभागाध्यक्ष के माध्यम् से अनापत्ति प्रमाणपत्र एवं चरित्र प्रमाणपत्र के साथ अग्रेषित करवाना चाहिए ।
In-service applicants should get their application forwarded through their Head of the Deptt./Instt./Govt. with N.O.C. and character certificate.

4. प्रवेश परीक्षा पत्र केवल पात्र अभ्यर्थी को ही भेजे जायेंगे। अभ्यर्थी को प्रवेश–परीक्षा के लिए स्वयं के खर्चे पर उपस्थित होना पड़ेगा ।
Hall Ticket for entrance test will be issued to eligible candidates only. The applicant should appear for entrance test at his/her own expenses.

5. इच्छुक अभ्यर्थीयों को अपना आवेदन–पत्र **केवल डाक (स्पीड पोस्ट, कूरियर आदि) या हस्तगत के माध्यम से निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या–66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110026 पर अन्तिम तिथि अर्थात् 18 दिसम्बर, 2024 तक या उससे पूर्व भेजना होगा।**
Interested candidates may send their application only through **Post (Speed Post, Courier etc.) or By Hand to Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Dhanwantri Bhawan, Road No.-66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026 on or before 18th December, 2024.**

6. ***अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र उपरोक्त पते पर भेजने से पहले वेबसाइट पर दिए गए गूगल फार्म को भर कर सबमिट करें अन्यथा उनका आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रदद् कर दिया जाएगा।***
Candidates are to be informed that they must have to submit their Google Form which is available on official website before sending the application form through post on above address otherwise their application form will be rejected without any intimation.

7. ***** अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अपना प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा जो कि केवल भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हो न कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित। यदि अभ्यर्थी अपना अन्य पिछड़े वर्ग प्रमाण–पत्र भेजते हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित है तो उन्हे एक सामान्य अभ्यर्थी के रूप में गिना जाएगा, यदि पात्र हों और कोई अन्य मौका/लाभ उन्हें प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने हेतु नहीं दिया जाएगा और *<u>*आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को*</u> अपने प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे जो कि सत्र 2024–25 के लिए निर्धारित जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।
* OBC candidates have to submit their certificate which is only approved by Government of India not by State Government. If candidates send their OBC certificate which is approved by State Government then they will be counted as a General Candidate, if eligible and no other chance/benefit will be given them to submit their certificate and *<u>*Economically Weaker Sections*</u> have to submit their certificates which is approved by prescribed issuing authority for the session 2024-25.

8. **अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश–पत्र केवल व्यक्तिगत विवरण भर कर आवेदन–पत्र के साथ भेजना होगा अर्थात** <u>*सिवाय आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक और परीक्षा केन्द्र को भरें बिना*</u>**।**
Candidates have to send their Admit Card along with Application form containing the personal details <u>*except Application No., Roll No. and Examination Centre.*</u>

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
RASHTRIYA AYURVEDA VIDYAPEETH
रा.आ.वि का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी)

लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश–पत्र सत्र 2025–26
ADMIT CARD for Written Test for the session 2025-26

आवेदन क्रमांक / Application No.

अनुक्रमांक / Roll No.

परीक्षा तिथि / Exam Date	उपस्थित होने का समय / Reporting Time	प्रवेश बंद होने का समय / Entry Closing Time
	11:00 AM	**11:40 AM**

अभ्यर्थी का नाम Candidate's Name :	लिंग Gender :	कृपया अपना नवीनतम कलर पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं और नीचे बॉक्स में अपना हस्ताक्षर करे Kindly paste your recent colour passport Photograph and Sign in the below column
जन्म तिथि Date of Birth :	श्रेणी Category :	
आधार नं.* Aadhar No.* :		
पता Address :		

परीक्षा का दिन / समय :
Date/Time of examination on : **(12:00 PM TO 01:40 PM)**

परीक्षा केन्द्र / Examination Centre :

***** अभ्यर्थी को अपने साथ उसका / उसकी मूल आधार कार्ड लाना आवश्यक है। इसके बिना उन्हें परीक्षा भवन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Candidates must have to bring his/her original Aadhar Card without which he/she will not be permitted to enter into the examination hall.

नोट : परीक्षा संबंधी विस्तृत निर्देश अगले पृष्ठों पर देखें ।
Note : Please see the detailed instructions on next page.

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश / INSTRUCTIONS FOR CANDIDATES

1. **अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश–पत्र आवेदन–पत्र के साथ भर कर भेजना होगा सिवाय आवेदन क्रमांक, अनुक्रमांक और परीक्षा केन्द्र के।**
   Candidates have to send their Admit Card along with Application form duly filled except Application No., Roll No. and Examination Centre.

2. परीक्षा–भवन / कक्ष में प्रवेश लेने के लिए, अभ्यर्थी को अपने साथ प्रवेश–पत्र और आधार कार्ड लाना आवश्यक है।
   Candidate must bring Admit Card and Aadhar Card with him/her to secure admission hall/room. to the examination
   यदि कोई अभ्यर्थी अपने साथ उपरोक्त दस्तावेज लेकर नही आता है तो उसे परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।
   If a candidate fails to bring above documents, he/she would not be admitted in the examination centre and his/her candidature could be cancelled.

3. अभ्यर्थी को अपना बाल–पैन (केवल नीला अथवा काला रंग) अपने साथ लाना आवश्यक हैं।
   Candidate must bring his/her own Ball pen (Blue or Black only).

4. आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम के सभी विषयों में से एकल प्रत्युत्तर बहु–विकल्प वाले 100 प्रश्नों का एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न–पत्र एक अंक का होगा परीक्षा की अवधि एक घंटा चालीस मिनट है।
   There shall be one paper consisting of 100 Single Response Multiple Choice Questions from all subjects of BAMS course. Each question carries one mark. The duration of test will be one hour & 40 minutes.

5. क्योंकि कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिए जायेंगे, अतः अभ्यर्थी सभी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
   Since there is no negative markingl candidate may attempt all the questions.

6. उत्तर–पुस्तिका में कहीं भी कुछ अतिरिक्त नहीं लिखा जाना चाहिए।
   There should not be any extra writing on answer-sheets.

7. किसी तरह की नकल नहीं की जानी चाहिए, अगर अभ्यर्थी इस प्रकार कदाचार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे के लिए अयोग्य माना जायेगा।
   There should not be copying of any kind. The candidates found indulging in malpractices will be disqualified.

8. किसी भी स्थिति में प्रवेश–परीक्षा की उत्तर–पुस्तिका की छानबीन / पुनः मूल्यांकन की अनुमति नहीं होगी।
   No Scrutiny/Revaluation of the answer book of the entrance test shall be allowed on any ground.

9. अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र के अतिरिक्त कोई भी कागज (पेपर) परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है।
   The candidates should not possess any paper except Admit-Card in the examination.

पाठ्यक्रम विवरणिका (प्रोस्पैक्ट्स)

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा पूर्ण वित्त पोषित एक स्वायत्त संगठन है। यह रजिस्ट्रार सोसाइटीज दिल्ली प्रशासन द्वारा 11 फरवरी, 1988 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के 21 के अन्तर्गत पंजीकृत है और यह धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या–66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110 026 में कार्य कर रहा है।

यह विद्यापीठ आयुर्वेद के क्षेत्र में विख्यात विद्वानों एवं विशेषज्ञों/चिकित्सकों को गुरु के रूप में नियुक्त करता है और **''गुरु शिष्य परम्परा''** की पारम्परिक पद्धति के अन्तर्गत पाठ्यक्रम चलाता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.)

सी.आर.ए.वी. कोर्स के बारे में: राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, सफलतापूर्वक बी.ए.एम.एस. डिग्री प्राप्त किये हुए आयुर्वेदिक डॉक्टरों को व्यक्तिगत प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए आयुर्वेद में प्रमाण पत्र का आयोजन कर रही है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने सर्वविदित आयुर्वेद चिकित्सकों का सूचिबद्ध करता है जिन्हें संबंधित विशेषता में 20 वर्षों से अधिक का अभ्यास है। सफल हुए छात्रों को **'गुरु शिष्य परम्परा'** के माध्यम से इन गुरुजनों के पास नियुक्त किया जाएगा जहां छात्र संबंधित विशेषता में ज्ञान व प्रशिक्षण का लाभ लेगें । पाठ्यक्रम के सफल समापन के अंत में, छात्रों को प्रमाण पत्र (सी.आर.ए.वी.) प्रदान किया जाएगा। जिन नैदानिक विशिष्टताओं प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, के अन्तर्गत वे हैं : 1. कायचिकित्सा 2. स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र 3. क्षारसूत्र 4. मर्म चिकित्सा 5. भग्न और अस्थि चिकित्सा 6. शालाक्य (नेत्र रोग) 7. शालाक्य (दंत रोग) एवं इस प्रकार की अन्य नैदानिक विशिष्टताएं गुरुओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। बी.ए.एम.एस स्नातक जिन्हें भैषज्य कल्पना और औषधि निर्माण में रुचि है उनकी नियुक्ति उन प्रतिष्ठित गुरुओं के पास की जाएगी जिनके पास आयुर्वेदिक औषधि निर्माण हेतु सुविधा होगी। इस पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष है जिसमें छात्रों को गुरु के निर्देशों के अनुसार संबंधित विशेषता में नैदानिक और अन्य कर्तव्यों में भाग लेना होता है। छात्रों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के लिए किए गए कार्यों की मासिक और त्रैमासिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता है। उन्हे गुरु/रा.आ.वि. द्वारा दिये गए विषय पर एक विशेष शोध निबंध भी लिखना होता है।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ छात्रों को अध्ययन के दौरान शिक्षा और जीवन यापन की लागत को पूरा करने के लिए छात्रवृति प्रदान करता है। रा.आ.वि. द्वारा गुरु का आवंटन प्रवेश परीक्षा में छात्रों की योग्यता, 250 किमी की दूरी और उसका/उसकी गुरु के चुनाव के आधार पर किया जाएगा। **छात्रों को यह समझना चाहिए कि सी.आर.ए.वी. एक शिक्षण और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है ना कि एक नौकरी या रोजगार, इसलिए, छात्रवृत्ति को वेतन के रूप में नही माना जाना चाहिए।**

छात्रों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आइ.एम.सी.सी. अधिनियम 1970 के तहत भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी.सी.आइ.एम.)/एनसीआईएसएम अधिनियम 2020 द्वारा आयोजित किसी भी पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं है।

प्रशिक्षणः इस पाठ्यक्रम में चिकित्सा कार्य में लगे हुए देश के विभिन्न भागों के प्रतिष्ठित कर्माभ्यासरत वैद्यों/विद्वानों के मार्गदर्शन में आयुर्वेद चिकित्सा कर्माभ्यास (क्लिनिकल प्रैक्टिस) और आयुर्वेद औषधालय (आयुर्वेद फार्मेसी) का प्रशिक्षण शामिल है।

आवश्यक योग्यताः

पात्रताः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (आई.एम.सी.सी.) अधिनियम–1970/एनसीआईएसएम अधिनियम 2020 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किसी संस्थान/ महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से **आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.)** की उपाधि हो। **"केवल वे अभ्यर्थी जिनकी इंटर्नशिप अखिल भारतीय सीआरएवी प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि तक पूरी हो गई है और जो इंटर्नशिप पूरा होने का अस्थायी प्रमाण पत्र/ इंटर्नशिप पूरा होने का प्रमाण पत्र (सीआरएवी प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि तक) प्रस्तुत कर सकते हैं, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सीआरएवी में प्रवेश दिया जाएगा"**

आयु सीमा (दिनांक 18–12–2024 के अनुसार)**:** आयुर्वेद में स्नातकों के लिए अधिकतम 30 वर्ष (जन्म 18–12–1994 से पूर्व न हो) और आयुर्वेद में स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों के लिए 32 वर्ष (जन्म 18–12–1992 से पूर्व न हो)। तथापि, अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 3 वर्ष की छूट दी जायेगी (अर्थात् स्नातक को 18–12–1991 तथा स्नातकोत्तर अभ्यर्थी का जन्म 18–12–1989 से पूर्व न हो) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष (अर्थात् स्नातक को 18–12–1989 तथा स्नातकोत्तर अभ्यर्थी का जन्म 18–12–1987 से पूर्व न हो)। सरकार द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थियों (केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधीन कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों) के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी (जन्म 18–12–1989 से पूर्व न हो)। शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी को 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।

पाठ्यक्रम की अवधिः एक वर्ष

शिक्षावृत्तिः शिष्यों को राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के शासी निकाय द्वारा तय और समय–समय पर संशोधित मासिक शिक्षावृति का भुगतान किया जायेगा। (लगभग शिक्षावृत्ति **रुपये 54,737/– प्रति माह** है)

आरक्षणः

समय–समय पर प्रचलित केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार उपलब्ध कुल रिक्तियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) एवं शारीरिक रूप से विकलांग (पीएच) अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित स्थानों के नियमों को कार्यान्वित किया जायेगा। आरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार के नियम लागू होंगे। आरक्षण के मामले में, अभ्यर्थियों को अपना प्रमाण–पत्र

प्रस्तुत करना होगा जो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकार के लिए जारी किया जाता है। **केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित प्रमाण–पत्र ही स्वीकार किया जायेगा।**

सरकार से प्रायोजित अभ्यर्थियों (स्थायी चिकित्सा अधिकारियों) के लिए आरक्षण उपलब्ध है। प्रायोजित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की शिक्षावृत्ति देय नहीं होगी और यह अतिरिक्त अभ्यर्थी के रूप में रहेंगे। वर्ष में कुल उपलब्ध रिक्तियों में से आरक्षण 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और एक गुरु के पास इस तरह के एक शिष्य से अधिक नहीं लिया जायेगा।

आवेदक प्रवेश लेने से पूर्व कृपया दिए गए निदेर्शों को ध्यान से पढ़ें ।

प्रवेश के पूर्व के निर्देश

1. इच्छुक अभ्यर्थीयों को अपना आवेदन–पत्र **केवल डाक (स्पीड पोस्ट, कूरियर आदि) या हस्तगत के माध्यम से निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, धन्वन्तरि भवन, मार्ग संख्या–66, पंजाबी बाग (पश्चिम), नई दिल्ली–110026 पर अन्तिम तिथि अर्थात् 18 दिसम्बर, 2024 तक या उससे पूर्व भेजना होगा।**

2. ***अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र उपरोक्त पते पर भेजने से पहले वेबसाइट पर दिए गए गूगल फार्म को सबमिट और संलग्न करें अन्यथा उनका आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रदद् कर दिया जाएगा।***

3. सामान्य, पीएच, ईडब्लूएस एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश शुल्क ₹ 2000/– + 18% जीएसटी = ₹ 2360/- और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए ₹ 1000/– + 18% जीएसटी = ₹ 1180/- हैं। **एकबार जमा किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।**

4. ***अभ्यर्थियों* को हमारी वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से ही उपरोक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।** ***अभ्यर्थियों को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वे रसीद को डाउनलोड/प्रिंट करने से पहले सफल लेनदेन संख्या नोट कर लें या उसका स्क्रीनशॉट कर लें।***

5. **उम्मीदवारों को भुगतान की रसीद आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा**। भुगतान रसीद निम्नलिखित प्रकृति का हो सकता हैः–
   - 'लेनदेन संदर्भ संख्या' को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए शुल्क की सफल हस्तांतरण रसीद का स्क्रीनशॉट।
   - बैंक पासबुक की स्क्रीनशॉट/फोटोकॉपी स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए शुल्क के लेनदेन का विवरण।

6. केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करें, जो 'गुरु शिष्य परम्परा' के अधीन प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हैं। **सफल अभ्यर्थी, जिन्होंने पहले से ही सीआरएवी पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है वे फिर से आवेदन नहीं कर सकते हैं।**

7. पाठ्यक्रम का अध्ययन एवं प्रशिक्षण विशेष रूप से **"गुरु शिष्य परम्परा"** के अन्तर्गत होगा, जिसमें शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे गुरुजनों के स्थान के समीप अपने आवास तथा भोजन इत्यादि की व्यवस्था स्वयं करें ।

8. अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि गुरुजनों की वरीयता सावधानीपूर्वक दें। अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता, 250 किमी की दूरी तथा गुरुजनों को दी गयी वरीयता के आधार पर किया जाएगा। **एक बार गुरु आंवटित होने के पश्चात् किसी भी रूप/स्थिति में अभ्यर्थी का एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरण नही किया जाएगा।**

9. स्थानीय शिष्यों जिनका (स्थायी पता/वर्तमान पता/जन्म स्थान), गुरुजनों के स्थान से 250 कि.मी. से कम हो, उन्हें ऐसे गुरुजनों के अधीन प्रवेश देने हेतु विचार नहीं किया जायेगा। शिष्यों को इस संबंध में अपने स्थायी, वर्तमान और मूल निवास पतों का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाणपत्र देने होंगे।

10. सी.आर.ए.वी. पाठ्यक्रम 2025–26 के लिए सूचीबद्ध गुरुजनों तथा संस्थाओं के नाम बाद में दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो सभी सूचीबद्ध गुरु तथा संस्था का वरीयता के आधार पर क्रमांकन करें। **अभ्यर्थी वरीयता के क्रम में कुल गुरुजनों की कितनी भी संख्या का विकल्प दे सकते हैं।**

11. यह पूर्णकालीन पाठ्यक्रम है और शिष्यों को कोई निजी कर्माभ्यास (प्राइवेट प्रैक्टिस) या किसी प्रकार का व्यवसाय/रोजगार, किसी अन्य प्रकार का प्रशिक्षण/अध्ययन इत्यादि करने की अनुमति नहीं है।

12. लिखित परीक्षा के लिए उपस्थित होने या चयन पश्चात् प्रशिक्षण में प्रवेश लेने के लिए यात्रा या दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

13. **यह पाठ्यक्रम केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् (सी.सी.आई.एम.) द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हैं,** यह पाठ्यक्रम आयुर्वेदिक स्नातकों की ज्ञानवृद्धि के लिए तैयार किया गया है ताकि वे बेहतर चिकित्सक/विद्वान बन सकें।

14. **पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को यह स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना चाहिए कि रोजगार दिलाने या पाठ्यक्रमों को भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद्(सी.सी.आई.एम) द्वारा मान्यता प्रदान करवाने की जिम्मेदारी विद्यापीठ/गुरु की नहीं है।**

15. जो अभ्यर्थी गुरु के सगे संबंधी (पति या पत्नी/बच्चे/भाई/बहन या उनके संबंधी) हैं, उनका इस पाठ्यक्रम में उसी गुरु के अधीन शिष्य के रूप में चयन नहीं किया जायेगा। आवश्यक होने पर इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

16. केवल वही अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए पात्र समझे जायेंगे, जिन्होंने **इन्टर्नशिप अखिल भारतीय सीआरएवी प्रवेश परीक्षा परिणाम की घोषणा की तिथि तक** पूर्ण कर ली हो।

17. परीक्षा भवन के अन्दर किसी प्रकार के इलैक्ट्रॉनिक मद जैसे मोबाइल फोन, पेन–ड्राइव या किसी भी अन्य उपकरण पूर्णतया प्रतिबन्धित हैं। अगर कोई अभ्यर्थी इन उपकरणों को रखते हुए पाया गया तो उन्हें प्रवेश परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।

प्रवेश की विधिः

1. शिष्यों का चयन, लिखित परीक्षा पर आधारित होगा।

2. आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) पाठ्यक्रम के सभी विषयों से एकल उत्तर वाले 100 बहुविकल्प प्रश्नों वाली लिखित परीक्षा ली जायेगी। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा अधिकतम अंक 100 होंगे और परीक्षा की अवधि 1 घंटा 40 मिनट होगी।

3. **क्योंकि कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिये जायेंगे, अतः अभ्यर्थी सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।**

4. लिखित परीक्षा का मूल्यांकन ओ.एम.आर. शीट (इलैक्ट्रानिक माध्यम्/कम्प्यूटर) से किया जायेगा। अपूर्ण अथवा गलत तरीके से भरी गई उत्तर पुस्तिका अमान्य होगी और इसका उत्तरदायी प्रार्थी होगा। अपने उत्तर अंकित करने (भरने) के लिए केवल नीली या काली स्याही वाले बॉल पोइन्ट पेन का ही प्रयोग करें। अन्य सभी रंग प्रतिबन्धित हैं। पेंसिल का प्रयोग नहीं करें।

5. यदि किसी गुरु विशेष के लिए अभ्यर्थियों के बराबर अंक आते हैं तो मानदण्ड के लिए उम्र को लिया जायेगा और वरिष्ठता में जन्म तिथि को प्राथमिकता दी जायेगी।

6. **लिखित परीक्षा की तिथि एवं समयः रविवार, 19 जनवरी, 2025 अपराह्न 12:00 बजे है।** उम्मीदवारों को 11:00 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रस्तुत होना होगा और उन्हे किसी भी कीमत पर 11:40 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. **लिखित परीक्षा का स्थलः**

   i. **नई दिल्ली**
   ii. **पुणे (महाराष्ट्र)**
   iii. **जयपुर (राजस्थान)**
   iv. **बेंगलुरु (कर्नाटक)**
   v. **वाराणसी (उत्तर प्रदेश)**
   vi. **त्रिशूर (केरल)**

प्रवेश के बाद निबंधन एवं शर्तें

1. चयन किए गए अभ्यर्थियों को, स्वयं का एक बन्ध–पत्र (बॉन्ड) 100/–रु0 मूल्य के गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर (निर्धारित प्रारूप पर) दंडाधिकारी (मजिस्ट्रेट) /राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित करवाकर प्रस्तुत करना होगा **(केवल नोटरी से अभिप्रमाणित प्रमाणपत्र मान्य नहीं है)।** शिष्यों को प्रवेश से पूर्व लेकिन चयन पश्चात् स्वस्थता प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। प्रवेश लेने के एक महीने के भीतर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करनी आवश्यक होंगी। एक निर्धारित अवधि के भीतर अगर समस्त औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई तो अभ्यर्थियों का प्रवेश बिना किसी विचार के तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा।

2. इस पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना और परीक्षा उत्तीर्ण करना शामिल है।

3. शिष्यों को प्रशिक्षण के दौरान मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक रिकार्ड भेजने होंगे, जैसा उनके चयनपत्र में उल्लेखित होगा।

4. शिष्यों की उपस्थिति तथा अपेक्षित अध्ययन–रिपोर्ट/रिकार्ड आगामी महीने की 10वें तारीख तक प्राप्त होने के उपरान्त प्रत्येक महीने शिष्यों की शिक्षावृत्ति जारी की जायेगी।

5. गुरु को पाठ्यक्रम के प्रत्येक दूसरे महीने शिष्य की परीक्षा आयोजित कर उसका मूल्यांकन करना होगा कि वह अन्तिम परीक्षा तक पाठ्यक्रम जारी रखने का इच्छुक है अथवा नहीं यदि मूल्यांकन संतोषजनक होगा तो शिष्य को पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी जायेगी अन्यथा शिष्य को पाठ्यक्रम छोड़ना होगा और 12 प्रतिशत ब्याज की दर से शिक्षावृत्ति वापस करनी होगी।

6. शिष्यों की लिखित व मौखिक रूप से अन्तिम परीक्षा उस स्थान में ली जायेगी जहां राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ निर्णय लेगा।

7. शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे गुरु के अधीन अध्ययन करते समय समुचित अनुशासन बनाये रखें और अपने अध्ययन पर अधिकतम समय लगाएं ।

8. यदि शिष्य निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करता है या पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पूर्व बीच में ही अध्ययन छोड़ देता है या विद्यापीठ के नियमों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप रा.आ.वि. द्वारा उसका शिष्यत्व समाप्त कर दिया जाता है, तो उसे रा.आ.वि. से प्राप्त शिक्षावृत्ति की सम्पूर्ण धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित वापस करनी होगी। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि इस शर्त में किसी भी मामले में छूट नहीं दी जायेगी।

9. यह आवश्यक है कि शिष्य अपने गुरु के मार्ग–दर्शन में सप्ताह में छः दिन, प्रतिदिन कम से कम आठ से दस घंटे के अध्ययन/प्रशिक्षण ग्रहण करें, जिसके लिए उसे निर्धारित प्रारूप में दैनिक–डायरी तैयार करनी होगी ।

10. केवल पाठ्यक्रमों में भाग लेने या शिष्य की सुविधा अनुसार गुरु से मिलने से ही प्रयोजन पूरा नहीं होता। शिष्यों को एकाग्र होना चाहिए और अपने गुरु से विषय/विशिष्टता सीखने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए।

11. यदि किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कोई गुरु प्रशिक्षण काल में सेवा कार्य से निवृत्ति लेते हैं या रा.आ.वि. उस गुरु की सेवाएं नहीं चाहता तो शिष्य को किसी अन्य गुरु के अधीन उसी विषय में जहां रिक्त स्थान उपलब्ध हो, स्थानान्तरित कर दिया जायेगा। शिष्य को आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

12. शिष्य, रविवारीय (साप्ताहिक अवकाश) एवं राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त एक वर्ष में कुल 15 दिन के अवकाश के हकदार होंगे, जिसमें त्यौहार/ऋतु कालीन अवकाश (ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु आदि) सम्मिलित होगा। यदि शिष्य द्वारा अतिरिक्त अवकाश लिया जाता है तो उस अवधि के लिए कोई शिक्षावृत्ति नहीं दी

जायेगी। अवकाश अवधि से पहले और उसके बाद आने वाली छुट्टियां और रविवार छोड़ दिये जायेंगे। परन्तु अवकाश अवधि के बीच में आने वाली छुट्टियां और रविवार को अवकाश के रूप में गणना में लिया जायेगा।

13. **उत्तीर्ण होने वाले सभी शिष्यों को निर्धारित परिधान में प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए दीक्षान्त समारोह में उपस्थित होना आवश्यक होगा ।**

14. शिष्य अपने पाठ्यक्रम के दौरान अन्य संस्थाओं द्वारा अपने विषय से सम्बन्धित किसी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी/कार्यशाला में भाग ले सकते हैं। लेकिन इसका खर्च रा.आ.वि. द्वारा नहीं उठाया जायेगा।

15. शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यापीठ द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता व अनुशासन हेतु समय–समय पर संशोधित किए गए/बनाये गए नियमों एवं विनियमों का पालन करें।

16. उपरोक्त नियमों और विनियमों के परिणाम स्वरूप यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह दिल्ली की स्थानीय अदालतों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ
भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, नई दिल्ली

रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सी.आर.ए.वी.) के शिष्यों के लिए अन्तिम मूल्यांकन का तरीका

रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (सीआरएवी) के जिन शिष्यों ने अपने प्रशिक्षण का एक वर्ष पूरा कर लिया है, उनका अन्तिम मूल्यांकन निम्नलिखित मापदण्ड पर आधारित होगा। रा.आ.वि. का प्रमाणपत्र दिया जाना निवल मूल्यांकन पर निर्भर होगा, जिसमें मूल्यांकन के सभी अलग–अलग संघटक शामिल होंगे।

किसी अभ्यर्थी को प्रमाणपत्र तभी मिलेगा, जब वह मूल्यांकन के सभी घटकों में समेकित रूप से संतोषजनक स्तर प्राप्त करेगा। ऐसा न होने के मामले में अभ्यर्थी से न्यूनत्तम एक महीने की अवधि के बाद पुनः परीक्षा देने के लिए कहा जायेगा। इस अवधि के दौरान यदि वह प्रशिक्षण का इच्छुक है और गुरु भी उसे प्रशिक्षण देना चाहते हैं तो वह सम्बन्धित केन्द्र में अपना प्रशिक्षण जारी रख सकता है, परन्तु उसे यह प्रशिक्षण अपने खर्चे पर लेना होगा और रा.आ.वि. इस अवधि के लिए कोई शिक्षावृत्ति नहीं देगा।

मूल्यांकन संघटकः

1. आन्तरिक मूल्यांकन
2. सिद्धान्त (थ्योरी) परीक्षा
3. मोनोग्राफ (विशेष निबन्ध)
4. विशेष रोगीवृत्त रिपोर्ट (स्पेशल केस रिपोर्ट)
5. मौखिक परीक्षा

1. आन्तरिक मूल्यांकन

यह सम्बन्धित सी.आर.ए.वी प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा किया जायेगा। यह मूल्यांकन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अन्त में किया जायेगा और वह सी.

आर.ए.वी प्रशिक्षण के बाद सी.आर.ए.वी पाठ्यक्रम के शिष्य में पायी गई गुणात्मक सुधार के बारे में समग्र मूल्यांकन देगा।

2. सिद्धान्त (थ्योरी) परीक्षा

सी.आर.ए.वी के सभी शिष्यों का पाठ्यक्रम पूरा हो जाने पर उनके लिए तीन घंटे की वर्णनात्मक परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रश्न मुख्य रूप से उनके विशिष्ट प्रशिक्षण के क्षेत्र पर केन्द्रित होंगे, तथापि, आयुर्वेद अथवा उनकी विशेषज्ञता से सम्बन्धित कुछ सामान्य प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

3. मोनोग्राफ (विशेष निबन्ध)

सी.आर.ए.वी के प्रत्येक शिष्य से उसके गुरु/प्रशिक्षण प्रभारी के परामर्श से उसके प्रशिक्षण की अन्तिम तिमाही में विशेष रोग दशा/चिकित्सा प्रक्रिया/औषधि–योग आदि पर मोनोग्राफ प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इस मोनोग्राफ में नवीनता होनी चाहिए और यह समसामयिक आयुर्वेद कर्माभ्यास के सन्दर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए।

4. विशेष रोगीवृत्त रिपोर्ट (स्पेशल केस रिपोर्ट)

सी.आर.ए.वी के प्रत्येक शिष्य से उसके गुरु/प्रशिक्षण प्रभारी के परामर्श से उसके प्रशिक्षण की अन्तिम तिमाही में एक विशेष नैदानिक अवस्था आदि के संबंध में विशेष रोगी वृत्त रिपोर्ट (स्पेशल केस रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। इस विशेष रोगीवृत्त में असाधारण टिप्पणी/नवीनता होनी चाहिए और यह समसामयिक आयुर्वेद कर्माभ्यास के सन्दर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। यह केस रिर्पोट एक विशेष दशा के उपचार के लिए विशेष उपचार बताने पर केन्द्रित होनी चाहिए। इस रिपोर्ट में उस विशेष दशा के लिए एक खास उपचार चुनने की प्रासंगिकता पर भी विचार–विमर्श किया जाना चाहिए तथा यह बताया जाना चाहिए कि इस रोग की रोग निदान सम्बन्धित नैदानिक निर्णय कैसे लिया गया।

5. मौखिक परीक्षा

सी.आर.ए.वी के प्रत्येक शिष्य के लिए सिद्धान्त परीक्षा के बाद मौखिक परीक्षा होगी। यह मौखिक परीक्षा बाह्य एवं आन्तरिक विशेषज्ञों के पैनल द्वारा ली जायेगी। इस मौखिक परीक्षा का उद्देश्य शिष्य के शास्त्र सम्बन्धी ज्ञान को ज्ञान के व्यावहारिक रूप से उपयोग करने की योग्यता का मूल्यांकन करना है जो आयुर्वेद के नैदानिक कर्माभ्यास में लाभदायक हो।

PROSPECTUS

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth is an autonomous organization fully funded by the Ministry of AYUSH, Govt. of India, New Delhi. It is registered under Societies Registration Act XXI of 1860 with the Registrar Societies, Delhi Administration on 11th February, 1988 and functioning at Dhanwantari Bhawan, Road No. 66, Punjabi Bagh (West), New Delhi–110 026.

The Vidyapeeth appoints renowned scholars and experts/practitioners in the field of Ayurveda as Gurus and runs courses under traditional method of **'Guru Shishya Parampara'**.

Prospectus for Certificate of Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (CRAV)

About the CRAV Course: The Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth is conducting the certificate course in Ayurveda for the purpose of providing additional hands on training to the Ayurvedic doctors having successfully completed the BAMS degree course. For this purpose the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth has identified well known Ayurveda practioners having more than 20 years of practice in the concerned specialty. The successful students shall be posted with these Gurus where the students will gain the knowledge and training about the concern specialty through the method of **'Guru Shishya Parampara'.** At the end of successful completion of the course, the students will be awarded the certificate (CRAV). The clinical specialties in which the training would be provided include 1. Kayachikitsa 2. Stree Roga and Prastuti Tantra 3. Ksharsutra 4. Marma Chikitsa 5. Bhagna and Asthi Chikitsa 6. Shalakya (Netra Roga) 7. Shalakya (Danta Roga) and such other clinical specialties depending upon availability of the gurus. The BAMS graduates interested in Bhaishjaya Kalpana and Aushadhi Nirman are posted with the reputed gurus having the facility of Ayurvedic Drug manufacturing. The duration of the course is one year during which the students have to attend the clinical and other duties in the concerned specialty as per the directions of the guru. The students have to submit Monthly and Quarterly Report of the work done to the Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth. They also have to write one dissertation on the subject given by Guru/RAV.

The Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth provides stipend to the students to meet the cost of education and living during the course of study. The allocation with the Gurus shall be done by the RAV depending upon the merit of the students in the entrance examination, 250 km distance and his/her Gurus' choice. **The students must understand that the CRAV course is an**

education and training course and not a job or employment, therefore, the stipends should not be considered as salary.

The students should also keep in mind that this certificate course has no linkage with any course conducted by Central Council of Indian Medicine (CCIM) under IMCC Act 1970/NCISM Act 2020.

Training : This course involves training in clinical practices and Ayurvedic Pharmacy under the guidance of eminent practicing Vaidyas/Scholars in different parts of the country.

Essential Qualification

Eligibility: BAMS (Ayurvedacharya) degree from any institution and university included in 2nd schedule of IMCC Act-1970/NCISM Act 2020. **"Only those candidates whose internship has been completed by the date of declaration of All India CRAV Entrance Examination result and who can produce the Provisional Certificate of completion of internship/internship completion certificate (by the date of declaration of CRAV Entrance Exam result) will be given admission in CRAV as per their merit".**

Age limit: (As on 18-12-2024): Maximum 30 years for graduates (not born before 18-12-1994) and 32 years for Post graduates (not born before 18-12-1992). However, 3 years relaxation will be given for OBC candidates (i.e. not born before 18-12-1991 for graduates and for Post graduates not born before 18-12-1989) and 5 years for ST/SC (i.e. not born before 18-12-1989 for graduates and for Post graduates not born before 18-12-1987). Upper age limit will be 35 years for Government sponsored candidates (permanent medical officers working in Central/State Government (not born before 18-12-1989). Additional 5 years relaxation will be given to Physically Handicapped candidates.

Duration of course: One year.

Stipend: Students will be paid a monthly stipend as decided by Governing Body of RAV and amended from time to time. (Approximate stipend is **Rs. 54,737/- per month**)

Reservation: Reservation of seats to SC, ST, OBC, Economically Weaker Sections (EWS) and Physically Handicapped (PH) candidates will be implemented for total number of vacancies available as per government policy prevalent from time to time. Central government rules on reservation will be applicable. In case of reservation, candidates have to submit their certificate which is issued as per Government of India guidelines application for Central Government. **Only Central Government approved Certificate will be accepted**.

Reservation for Government Sponsored candidates (Permanent Medical Officers) is available. Sponsored candidates will not be paid any stipend and these are supernumerary in

nature. This reservation will not exceed 10% of the total number of vacancies available in that year and not more than one such student under one Guru.

APPLICANT MUST READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE FILLING UP THE APPLICATION FORM FOR ADMISSION

Instructions before Admission:

1. Interested candidates shall send their application through **only Post (Speed Post, Courier etc.) or By Hand to Director, Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth, Dhanwantri Bhawan, Road No.-66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026 on or before 18th December, 2024**.

2. ***Candidates are informed that they shall submit and attach their Google Form which is available on official website before sending the application form through post on above address otherwise their application form will be rejected without any intimation.***

3. Examination Fee is ₹ 2000/- +18% GST = ₹ 2360/- for General, PH, EWS & OBC candidates and ₹ 1000/- + 18% = ₹ 1180/- for SC/ST candidates to be paid. **Application Fee once paid shall not be refunded under any circumstances.**

4. **Candidates shall have to pay the said fee only through the link given on our website.** ***Candidates are also suggested to note the successful Transaction No. and take a Screenshot before downloading/printing the receipt.***

5. **Candidates must attach payment receipt with the Application Form**. Payment receipt can be of the following nature:
   - Screen shot of successful transfer receipt of the fee indicating 'transaction reference number' clearly.
   - Screen shot / photocopy of bank passbook indicating clearly the transaction details of the fee.

6. Only those candidates, who wish to undergo training under Guru Shishya Parampara, may apply. **Those who have already completed CRAV Course cannot apply again.**

7. The study and training of the course will be specifically under **"Guru Shishya Parampara"** wherein the Shishyas are required to make their own arrangements of lodging & boarding etc. near the place of Gurus.

8. The candidates are requested to give the preference for their gurus carefully. The selections would be based on the basis of Merit, 250 km distance and the Preferences given for respective gurus. **Once allocated the Guru, the transfer from one training centre to another would not be entertained in any case/condition.**

9. The local students (permanent address/present address/nativity) of 250 kms or below from the place of guru will not be considered under such gurus. The students need to furnish proof of permanent, present address and nativity under self certification. While giving choice of gurus the students should consider this point.

10. Names of the Empanelled Gurus and Institutions for CRAV course 2025-26 will be given later. The students are requested to make an order of preference in reference to all empanelled gurus and Institutions. **The student applicants may opt any number of gurus in order of preference.**

11. The course is on full time basis and Shishyas are not allowed to do any private practice, any type of business/job or any other training/course etc.

12. No TA/DA will be paid to the candidates appearing for written test or for joining the training after selection.

13. **The course is not recognized by CCIM**. The course has been designed to enhance the knowledge of Ayurvedic graduates/postgraduates to make them better doctors/scholars.

14. **Before applying for admission, it should be kept clearly in mind that Vidyapeeth/Guru owns no responsibility for providing employment or to get the course recognized by CCIM.**

15. Those who are related to the Guru (relatives of self/spouse/children/ brothers/sisters of guru) will not be selected as Shishya for the Course under the same guru. A declaration of this effect may require to be submitted in this case.

16. Candidates who have completed **internship by the date of declaration of All India CRAV Entrance Examination result** are eligible to appear for Entrance Test.

17. Any kind of electronic item like- mobiles, pen drive or any other gadgets are strictly prohibited inside the examination hall, and any candidate found possessing these items will be debarred from Admission test.

Method of Admission:

1. Selection of students is based on Written Test.

2. There will be a Written Test of 100 single responses multiple choice questions (SRMCQ) from subjects of BAMS course. Each question carries one mark and the maximum marks are 100 and the duration of test will be 1 hour & 40 minutes.

3. **Since there is no negative marking the candidates may attempt all questions.**

4. Assessment of Written Test is done through OMR (computer) sheets. Invalidation of Answer Sheet due to incomplete/incorrect filling of the answer sheet will be the sole responsibility of the candidate. Please use only Blue or Black Ball point pen to mark (darken) your answers. Pens with any other colour are not allowed. Do not use pencil.

5. In case of equal marks of candidates for a particular guru, the age will be taken into criterion and seniority by Date of Birth will be given preference.

6. **Date & Time of Written Test: Sunday, 19th January, 2025 at 12:00 p.m.** Candidate shall be presented at centre by 11:00 a.m. and they will not be permitted to enter in the examination centre at any cost after 11:40 a.m.

7. **Venue for Written Test**:

   i. New Delhi
   ii. Pune (Maharashtra)
   iii. Jaipur (Rajasthan)
   iv. Bengaluru (Karnataka)
   v. Varanasi (Uttar Pradesh)
   vi. Thrissur (Kerala)

Terms & Conditions after admission:

1. Selected candidates shall have to submit a Bond by self in the prescribed format on non-judicial stamp paper worth Rs. 100/- duly certified by any Magistrate/Gazetted Officers **(Only notary certify will not be valid)**. Students are also required to submit fitness certificate after selection. The admitted students have to complete these formalities within one month after admission. If they fail to submit within the prescribed time limit, the admission will be cancelled forthwith without any consideration.

2. The course includes receiving training and passing the examination.

3. The students are required to send the monthly, quarterly and annual records during their training period as specified in their selection letter.

4. Stipend will be released every month on receipt of the attendance of Shishyas and required study report/record of the patients by 10th day of following month.

5. Guru will conduct the assessment of student every two months of course whether the student is keen to continue the course till final examination. If the assessment is satisfactory then the student will be allowed to continue the course. Otherwise shishya will have to leave the course and refund the stipend along with interest of 12%.

6. The Final examination of the students i.e. Written & Viva Voce will be held at a place decided by RAV.

7. The Shishyas are expected to maintain proper discipline while studying under Guru and to devote maximum time on their study.

8. **If the Shishya fails to complete the course within the duration or leaves the study in between before passing of course or his/her studentship is terminated by the RAV consequent upon violation of rules of Vidyapeeth, he/she has to refund the full amount of stipend, which was received from RAV together with 12% interest thereon. This condition shall not be relaxable in any case, which may be ensured by the candidates before applying for the course.**

9. The student is required to study/ take training six days a week with a minimum of 8-10 hours study per day under the guidance of Guru, for which daily diary has to be prepared by each student on the prescribed formats.

10. Mere attending the course or visiting the Guru as per convenience of the Shishya does not serve the purpose at all. The Shishya should be attentive and keen to learn the subject/specialties from the Guru.

11. If due to some unavoidable circumstances a Guru retires during the course or the RAV does not require the services of that Guru, the student will be transferred under another Guru of same subject, where vacancy is available. The student shall have no right to object.

12. The students are entitled, in addition to gazetted holidays & Sundays (weekly off), for 15 days leave in a year, including festival/seasonal vacations (summer, winter etc.). For any additional leave, if availed of by the student, no stipend shall be payable for that period. The holidays and Sundays prefixing and suffixing to leave period will be excluded. But the holidays and Sundays coming in between the leave period will also be counted as leave.

13. **All passed-out students shall have to attend the Convocation for receiving certificates in prescribed dress code.**

14. The student can be permitted to take part in any one National seminar/workshop organized by other institutions related to his/her subject during the course. But, no expenses shall be borne by RAV.

15. The student shall be required to follow the rules and regulations amended/framed by the Vidyapeeth for improvement in the quality of training and discipline, from time to time.

16. Any dispute arising out of any of the inference from aforesaid rules and regulations subject to the jurisdiction of Courts at Delhi.

Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth
Ministry of Ayush, Govt. of India, New Delhi

Final Assessment Method for CRAV Students

The final assessment for CRAV students who have completed their training of one year would be based upon following parameters. The award of CRAV would be based upon the net assessment comprising of all individual components of assessment.

To enable the candidate to get the award, a satisfactory status in all components of evaluation is required. In case of inability to do so, the candidate would be asked to appear in the examination again after a minimum period of one month. During this time if he desires so and if the guru also desires so, he can continue his training at the respective centre but at his own expense and RAV shall not give any stipend for this period.

Assessment Components:-

1. Internal Assessment
2. Theory Examination
3. Monograph
4. Special Case report
5. Viva voce

1. Internal Assessment:

This would be done by the in-charge of the training at respective CRAV training centres. The assessment would be done at the end of the course and would give an overall assessment about the qualitative improvements observed in CRAV student after the CRAV training.

2. Theory Examination:

A three hour descriptive examination would be conducted for all CRAV students upon their completion of course. The questions would be mainly focusing upon the area of their specialized training however some general questions pertaining to Ayurveda or their specialty may also be asked.

3. Monograph:

Every CRAV student, in consultation with his guru / training in-charge, is asked to submit a monograph in the last quarter of their training, on a particular disease condition/ procedure / formulation etc. This monograph should contain the component of novelty and relevance in reference to the contemporary practice of Ayurveda.

4. Special Case report:

Every CRAV student, in consultation with his guru / training in-charge, is asked to submit a special case report in the last quarter of their training, on a particular clinical condition etc. This special case report should contain the component of unusual observations/novelty and relevance in reference to the contemporary practice of Ayurveda. The focus of the case report should be on establishing a particular regimen for treating a particular condition which resulted in high response. The report should also discuss the relevance of choosing a particular regimen for the given condition and how the clinical judgment was arrived referring to pathological state of the disease.

5. Viva Voce:

Following the theory examination, there would be a viva voce for every CRAV student. A panel of external and internal experts may take up the viva voce. The purpose of viva voce is to assess the ability of the student to translate the textual knowledge into a practically useful format of knowledge useful in clinical practice of Ayurveda.